संख्या-746/2025/887/22-2-2023-17(1095)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 03 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल उर्फ कुवेर पुत्र श्री सूरजपाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2376/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01-12-2022) दिनांक-24-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल उर्फ कुवेर पुत्र श्री सूरजपाल, जो ग्राम-ऊटासानी, थाना-गंगीरी जनपद-अलीगढ का निवासी है। वादी से पारिवारिक कलह मनमुटाव होने के कारण दिनांक 06-06-2008 को बन्दी ने फावडे से मारकर खेत से पीली मिट्टी लेने गयी वादी की पुत्री देवकी नामक लडकी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-1271/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-11, अलीगढ के आदेश दिनांक 31-10-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.07.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने व हिंसक अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने का अंकन करते हुये रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी से पारिवारिक कलह मनमुटाव होने के कारण दिनांक 06-06-2008 को फावडे से मारकर खेत से पीली मिट्टी लेने गयी वादी की पुत्री देवकी नामक लडकी की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनिल उर्फ कुवेर पुत्र श्री सूरजपाल को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल उर्फ कुवेर (बन्दी संख्या-16082) पुत्र श्री सूरजपाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-746/2025/887(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-746/2025/887/22-2-2023-17(1095)/2023

दिनांक: 03 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल उर्फ कुवेर पुत्र श्री सूरजपाल, जो ग्राम-ऊटासानी, थाना-गंगीरी जनपद-अलीगढ का निवासी है। वादी से पारिवारिक कलह मनमुटाव होने के कारण दिनांक 06-06-2008 को बन्दी ने फावडे से मारकर खेत से पीली मिट्टी लेने गयी वादी की पुत्री देवकी नामक लडकी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-1271/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-11, अलीगढ के आदेश दिनांक 31-10-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.07.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने व हिंसक अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने का अंकन करते हुये रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी से पारिवारिक कलह मनमुटाव होने के कारण दिनांक 06-06-2008 को फावडे से मारकर खेत से पीली मिट्टी लेने गयी वादी की पुत्री देवकी नामक लडकी की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनिल उर्फ कुवेर पुत्र श्री सूरजपाल को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।